(घ) खादी के उत्पादन से मिलने वाले रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए क्या पहले दी जाने वाली छूट को बहाल किया जाएगा; यदि नहीं, तो इसके या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) खादी उत्पादों की बिक्री पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। तथापि, सरकार द्वारा खादी तथा खादी से संबंधित वस्तुओं की बिक्री पर वर्ष दर वर्ष आधार पर छूट दी जाती रही है। वर्ष 1996-97 के दौरान सूती खादी पर सामान्य छूट 15% से घटाकर 10% कर दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी तथा खादी से संबंधित वस्तुओं पर दी गई छूट का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:—

क्र॰ सं॰	मद	1994-95		1995-96		1996-97	
		सामान्य छूट	90 दिन के लिए विशेष छूट	सामान्य छूट	90 दिन के लिये विशेष छूट	सामान्य छूट	90 दिन के लिये विशेष छूट
1.	सूती खादी	15%	10%	15%	10%	10%	10%
2.	*ऊनी खादी	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3.	सिल्क खादी						
	1. रीलड खादी	शून्य	10%	शून्य	10%	शून्य	10%
	2. काती गई खादी	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4.	पॉली वस्त्र	शून्य	10%	शून्य	10%	शून्य	10%

*इनमें कम्बल और कम्बलियां शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान सामान्य छूट की दर में कटौती मुख्यतः संसाधन की कमी के कारण की गई है।

(घ) खादी का उत्पादन, रोजगार सृजन तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर छूट निर्धारित की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने खादी के संवर्धन एवं बिक्री के लिए छूट योजना के स्थान पर बाजार विकास सहायता (एम डी ए) योजना लागू करने की सिफारिश की है

बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीनिवेश

*174. **श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दो वर्ष पूर्व बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में 8000 करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु आज की तारीख तक मात्र 20 करोड़ रुपए का ही पूंजीनिवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतना कम पूंजीनिवेश होने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्यमियों ने इस राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था किन्तु उन्हें इन परियोजनाओं को अधूरी छोड़ने पर विवश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस राज्य में पूर्ण पूंजीनिवेश करने के लिए क्या उपाए कर रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन सूचना से इस बात का संकेत मिलता है कि उदारीकरण के बाद से बिहार में बड़े, मध्यम, लघु, अतिलघु, एवं शिल्प उद्योगों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Returns on PSU investment

*175. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the last ten years, the 240 Centrally owned PSEs have never earned returns more than 5% of the capital invested; and

(b) if so, whether it is not advisable to privatise these and use such sale proceeds for development of infrastructure?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir. In 1995-96, the net return on capital employed in 239 operating enterprises has been 5.68%.

(b) Does not arise

Reduction in Quota of Rice, Wheat and Sugar to Orissa and TPDS

*176. SHRI BHAGABAN MAJHI: SHRI RAHASBIHARI BARIK:

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a sharp reduction in the monthly and quarterly quota of rice, wheat and sugar to Orissa in the current year under the Targeted Public Distribution System;

(b) if so, the allocation made to that State from January to July this year (month-wise) and also during the same period in 1996;

(c) the reasons for decline of wheat and other foodgrain quota under TPDS to Orissa during the current year;

(d) whether there is any proposal to make additional allocation of wheat to Orissa during the remaining months of 1997; and

(e) if so, the steps taken to enhance allocation during the remaining months of the current year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Yes, Sir. As per norms adopted and applied for allocation of foodgrains under Targeted Public Distribution System (TPDS), there has been a reduction in the monthly allocation of Rice and Wheat to Orissa with effect from the month of June, 1997. There is no reduction in the allocation of sugar.

(b) The details are given in the Statement. *(See* below).

(c) In order to make the Public Distribution System more targeted, it was decided to arrive at the figures of allocation on the basis of actual offtake of foodgrains during the last 10 years. Based on the above formulation, allocations were worked out for the States. The total allocation to the State is 426.45 thousand tonnes per annum fixed on the basis of the average annual lifting in the State during the last 10 years. The entire allocation is being given as Rice as requested by the State Government.

(d) and (e) No, Sir. However, if a request is received from the State for part allocation of wheat from within the overall allocation to the State, Government of India shall consider it favourably.

On the request of Govt. of Orissa the State has been allotted 20,000 metric tonnes of Rice per month for 5 months (June-October, 1997) to tide over the difficulty arising out of drought in the State.